

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

मंदाराम पुत्र गोपालराम जाति बनाम रामाराम पुत्र गोपालराम जाति
माली निवासी शिव तह. शिव माली नि. शिव तह. शिव
वर्ग-2

किस्म मुकदमा राजस्व डी. वि. अदि. मुकदमा नम्बर 171/2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
11/09/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री जोठाराम कुमावत अ.प. ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/मू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 2/12/2020 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी शिव</p>	<p>नोटिस जारी 827 29/10/2020</p>
2/12/20	<p>पत्रावली आते पेश हुई। आज हम दिनर कार्या में व्यस्त है। अतः इतला होकर पत्रावली आइन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 16/12/20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी शिव</p>	
16/12/20	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अग्रिम कार्यवाही उप। विप्राथीगण के नोटिसों का इन्जार् होकर पत्रावली आइन्दा दि. 30/12/20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी शिव</p>	
30/12/20	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अग्रिम कार्यवाही उप। पत्रावली वास्ते विप्राथीगण को गेजे गये नोटिसों</p> <p>उपखण्ड अधिकारी शिव</p>	

अतः इतला होकर पत्रावली आइन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 17/12/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी शिव



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

विरुद्ध सज्जम न्यायालय में अपील दाखल की जा सकती है। उक्त तरसीप दुरस्ती आवेदन विधि विरुद्ध होने तथा जोखरीज नही होने से खारिज फरमाना जावे।

उक्तपक्ष को सुन एवं पत्रावली पर मनन किया गया। चूंकि उक्त विवादित आराजी की तरसीप पूर्व में न्यायालय हाजिर में विभाजन प्रकार में निर्णय व अंतिम डिडी की पालना में की गई है। उक्त निर्णय व अंतिम डिडी के विरुद्ध सज्जम न्यायालय में अपील पेश की जाकर चाराजोही की जा सकती है तथा विवादित आराजी के संबंध में तरसीप दुरस्ती का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने तथा आवेदन चलने प्रोग्राम नहीं है। अतः प्रार्थी का तरसीप दुरस्ती का आवेदन विधि ~~के~~ बाधित होने तथा चलने प्रोग्राम नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फौजदारी होकर नम्बर से कम होकर शामिल दस्ता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव